

कार्यालय
(झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची)

पत्रांक 0381/20

प्रेषक,

जिला कार्यालय पदाधिकारी,
प्रा. शि. सर्व शिक्षा अभियान, राँची,
झारखण्ड।

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
BALDEV PUBLIC SCHOOL,
Khijurtola, Buti, Ranchi
Pin-835217
Jharkhand
Code-20140118707

दिनांक 25.09.2020

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 परियोजनार्थ एवं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उप नियम 05 के अंतर्गत विद्यालय की प्रा. स्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय/महशया,

आपके आवेदन पत्र सं. BPS/93/2019 दिनांक 03.04.2019 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **Baldev Public School, Khijurtola, Buti, Ranchi Jharkhand** (विद्यालय का नाम एवं पुरा पता) प्रथम कक्षा से अष्टम् कक्षा तक जिसके संचालन हेतु गत वर्षों 2018 से 2022 अवधि के लिए औपबन्धिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधिन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 02 तक के सीमा के सामान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक-1) तथा झारखण्ड राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-1) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों की नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन और पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं उत्तमकारी समुह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें तथा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु वह कि यदि विद्यालय के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के किया जाएगा।
4. कंडीका-3 में उद्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा-12 की उप धारा-2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानी वाली राशि जो प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार केपीटेशन का फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनींग टेस्ट नहीं किया जाएगा।


6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपालन, नामांकन के विस्तृत जानकारी के बाद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे :-
- I. किसी भी नामांकित बच्चों की कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नाबालिग बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पुरी होने तक विद्यालय से निष्काषित किया जाएगा।
 - II. किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा।
 - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा को पुरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - IV. प्रारंभिक शिक्षा पुरी करने वालो प्रत्येक बच्चों को नियम-22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।
 - VI. शिक्षकों को नियोजन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार से उनके लिए निर्धारित न्यूनतम अनुरूप किया जाएगा। परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यवंचित होंगे। वैसे शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारित करते हैं वे 03 वर्षों के अंदर निर्धारित प्रारूप योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा चार में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व के निर्वाहन करेंगे।
 - VIII. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा का अनुश्रण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातित रूपसे छात्रों कानामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 की धारा मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। स्वाघोषणा पत्र के आधार पर अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं विवरण निम्नवत है :-
- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | : | 1.18 एकड़ (5179.97Sq. M) |
| कुल निर्मित क्षेत्र | : | 1500.00 M2 |
| खेल के मैदान का क्षेत्र | : | 3500 M2 |
| वर्ग कक्षों की कुल संख्या | : | 14 |
| प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष | : | हाँ |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय | : | हाँ |
| पेयजल की सुविधा | : | हाँ |
| मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर | : | हाँ |
| बाधा रहित पहुँच | : | हाँ |
| शिक्षण अधिनियम समायो | : | हाँ |
| खेल-कुद उपकरण | : | हाँ पुस्तकालय : हाँ |
11. कोई भी अपस्वीकृत वर्ग कक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचना अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के रूप होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणिकरण चारटेट एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रति वर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान राँची, झारखण्ड को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या **20140118707** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड कृपा अंकित एवं उद्धित किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा. शि. एवं सर्वशिक्षा अभियान, राँची, झारखण्ड अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तों के लगातार रूप से पुरा करने का सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. विद्यालयों के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो मान और मानक निर्धारित हैं उन्हें 03 (तीन) वर्षों के अंदर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी। अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत है :-

क्र.	मद	मान और मानक	
		प्रवेश किये गये चालक	शिक्षकों की संख्या
1	(क) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए	60 तक	2 (दो)
		61-90 के मध्य	3 (तीन)
		91-120 के मध्य	4 (चार)
		121-200 के मध्य	5 (पाँच)
		150 बालकों के उपर	कक्षा एक से उपर एक अध्यापक
		250 बालकों के उपर	तीन शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक के अनुसार 40 से अधिक नहीं होगा)
		1 कम से कम प्रति कक्षा एवं शिक्षक कइ प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो	
		i विज्ञान और गणित	
		ii सामाजिक अध्ययन	
		iii भाषा	
2	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक	
		3. जहां 100 उपर बालकों प्रवेश दिया गया है वहां :-	

		i पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक ii अंशकालिक शिक्षक के लिए अ कला शिक्षा आ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक ई कार्य शिक्षा
3	भवन	सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-मण्डल-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा 2. बाधा मुक्त पहुँच। 3. लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय 4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पेयजल 5. रसोई घर दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाय 6. सीमा विकाल या बाँण्डी द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं 7. खेल का मैदान
4	एक शैक्षणिक वर्ग में कार्य दिवसों/शिक्षण कार्यों की न्यूनतम संख्या	1. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए शैक्षणिक दिवस 2. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति 220 कार्य दिवस 3. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे 4. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
5	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घण्टे सम्मिलित किये जाय)
6	अध्यापन उपस्वार	प्रत्येक कक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपलब्ध कराये जाएंगे।
7	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होगी।
8	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यदा अपेक्षित उपलब्ध कराये जायें।

अनुलग्न :- यथोक्तरि।


जिला कार्यलय प्रदाधिकारी
प्रति शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान
 प्रा. शिक्षा. एवं सर्वशिक्षा अभियान
 राँची।